

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं.98/2017 -सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

05 कार्तिक, 1939 (शक)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 96/2017-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, में दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 से निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 15, और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

अनुसूची-1

क्रं.सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रूके समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
(1)	(2)	(3)	
		(क)	(ख)
		आयातित माल के) (लिए	(निर्यात माल के लिए)
15.	साउथ अफ्रीकन रैंड	4.70	4.40

(फा.सं. 468/01/2017 सीमा शुल्क-V)

(जुबैर रियाज़)
निदेशक (सीमा शुल्क)